न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनोज कुमार मीणा, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 140/2024
GCMS NO. : 2024/302

–:: वादीगण :–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण :–
1. अब्दुल जब्बार पुत्र मेहमुद खां जाति कुरैशी मुसलमान निवासी–जैतारण तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर।		1. अब्दुल गफार पुत्र मेहमुद खां जाति कुरैशी मुसलमान निवासी सिखवाल भवन के पीछे, नयापुरा बस स्टेण्ड के पास, जेतारण तहसील–जैतारण ब्यावर राजस्थान। 2. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार। 3. उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला ब्यावर।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः. 16.07.2024**

उपस्थितः– 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी।
1. श्री महावीरसिंह उदावत, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से।

–:: निर्णय ::– दिनांकः– 18/12/2025

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 880 रकबा 4.4839 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जिसके राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/2 वे हक हिस्से अनुसार वादी मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी अपने 1/2 हिस्से पर जिस अनुरूप मौके पर काबिज है वादी के हक हिस्से को वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से व बंट की भूमि को नजरी नक्शे मे हरे रंग से दर्शाया गया है। नजरी नक्शा एवं नकल जमाबन्दी व नक्शा देस वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। सुविधा की दृष्टि से उक्त खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि को आगे इस वादपत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के पक्षकारान् के मध्य कोई बंटवाडा नही हो रखा है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड मे संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि है इस कारण वादी को अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का अपनी मनमर्जी अनुसार कृषि कार्य करने, बैंक से ऋण लेने, उन्नत तरीके से कृषि करने, खाद बीज डालकर उपजाउ करने, सरकारी अर्द्धसरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने मे काफी दिक्कतो एवं समस्याओ तथा कठिनाईयो

18.12.25

(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

का सामना करना पडता है तथा वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है इस कारण से वादी नजरी नक्शे मे बताये लाल रंग की अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने का अधिकारी है। 3–यह है कि वादपत्र के पद संख्या में वर्णित कृषि भूमि राजसव रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से प्रतिवादीगण आये दिन वादी के खेत की मांठ पाल व खन्दक को लेकर तथा सीमा को लेकर हमेशा वाद विवाद करते रहते है तथा वादी की कृषि भूमि की मेडबन्दी व तारबन्दी को तोडफोड कर देते है तथा बिना बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये ही उक्त संयुक्त सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण आदि की धमकीया देते रहते है एवं वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण करने की धमकीया देते रहते है तथा वादी को उसके कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकीया देते रहते है तथा कृषि भूमि को अकृषि कार्य कर खूर्द बुर्द करने पर आमादा है। जबकि वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है एंव राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम इन्द्राज है तथा वादी नजरी नक्शे मे बताये लाल रंग के अपने हक हिस्से भूमि पर मौके पर काबिज काश्त है। इसलिए वादी अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने का अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। दिनांक 24/06/2024 को वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी का नजरी नक्शे मे बताये हक हिस्से अनुसार बाई मिटस् एण्ड बाउण्डसृ के बंटवाडा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इन्कार करने एवं वादी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने एवं बिना बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि करने व मौके पर कृषि भूमि मे अकृषि कार्य करने व कच्चा पक्का निर्माण करने व खूर्द बुर्द करने एवं तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने की ऐलानिया धमकीया दी। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादो में कामयाब हो जाते है तो वादी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी एवं वादी अपने खातेदारी काश्तकारी हक हकूको से वंचित हो जायेगा एवं वादी अपने साम्पतिक अधिकारों से महरूम हो जायेगा तथा प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो का वादी मौके पर विरोध करेगा तो मौके पर लडाई झगडा टन्टा फसाद होगा एवं विविध प्रकार की मुकदमेबाजी बढेगी तथा पेचीदगिया पेदा होगी तथा वादी खर्चे से जेरबार हो जायेगा। इसलिए वादी के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से इनके विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने मे समय लगेगा तब तक वादी का वादपत्र करने का मकसद ही विफल हो जायेगा इसलिए बिना

18.12.25

(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सीपीसी का वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 24/06/2024 को वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी का नजरी नक्शे मे बताये अनुसार बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इन्कार होने से एवं बिना बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन बेचान अन्य हस्तान्तरण करने तथा वादी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने एवं मौके पर कच्चा पक्का निर्माण करने एवं वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि मे अकृषि कार्य कर खूर्द बुर्द करने की ऐलानिया धमकीया देने पर बमुकाम जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज॰ में पैदा हुआ जो श्रीमानू के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से यह वादपत्र अन्दर मयाद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। डिकी व निर्णय बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमावे कि वादपत्र के पद संख्या एक मे वर्णित सरहद मौजा ग्राम जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज॰ मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 880 रकबा 4.4839 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम मे से राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी के 1/2 वे हक हिस्से की नजरी नक्शे में बताये लाल रंग की भूमि का कानुनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा कर वादी का खाता व लगान अलग अलग किया जावे एवं वादी के हक हिस्से की भूमि का नापचौप कर पत्थर गड्डी कर नेखमबन्दी की जावे एवं वादी के हक हिस्से व बंट की भूमि को राजस्व नक्शा ट्रेस में अलग से तरमीम की जावे। ऐसी बंटवाडा की डिकी व निर्णय बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमावे। डिकी व निर्णय बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित सरहद मीजा ग्राम जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज॰ मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 880 रकबा 4.4839 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम में से राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी के हक हिस्से की नजरी नक्शे में बताये लाल रंग की भूमि मे वादी काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावे तो उसमे प्रतिवादीगण उनके नोकर चाकर हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार से दखल व दस्तन्दाजी नही करे तथा न ही वादी को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल करे तथा किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे एवं कृषि भूमि मे अकृषि कार्य नही करे तथा जब तक बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नहीं हो जाता तब तक उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि नही करे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिवादीगण को रोका जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। जवाब वादपत्र

18.12.25

(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

प्रतिवादी संख्या 1 अब्दुल गफार पुत्र मेहमुदखा, जाति कुरैशी मुसलमान, निवासी-सिखवाल भवन के पीछे नयापुरा बस स्टेण्ड के पास जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान की ओर से पेश हुआ कि वादपत्र के पद संख्या एक जवाब है कि वादी एवं प्रतिवादी की शामलाती एवं खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण जिला पाली हाल जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 880 रकबा 4.4839 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम अवश्य आई हुई है, जिस पर प्रतिवादी भी अपने हक, हिस्से व राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/2 वे हक, हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त एवं काश्त मुतालिक कार्य करते चले आ रहे है, वादी द्वारा पेश किया गया नजरीय नक्शानुसार काबिज नहीं होकर के प्रतिवादी द्वारा जवाब के साथ पेश किये गये नजरी नक्शेनुसार वादी एवं प्रतिवादी अपने-अपने हक, हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। शेष कथन सही होने से स्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या दो का जवाब है कि वादी एवं प्रतिवादी की शामलाती भूमि आई हुई है जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंट्वारा नहीं हो रखा है लेकिन उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का बंट्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता के जीवनकाल में ही पिताजी के द्वारा अपने दोनों पुत्रों को उक्त कृषि भूमि का बंटवारा कर, आज से लगभग 40 वर्ष पहले ही सौंप दी. जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण लगातार बंटवारेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा उपयोग, उपभोग में लेते आ रहे है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवारा हो रखा है, उक्त बंटवारेनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर अपने हक, हिस्से की 1/2–1/2 वे हिस्से की कृषि भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन राजस्व रेकर्ड व नक्शे में उपरोक्त कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड के बंटवारा नहीं हो रखा है. जिसका बंटवारा प्रतिवादी अपने जवाब के साथ पेश नजरी नक्शेनुसार बंटवारा करवाना चाहते है, शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या तीन में वर्णित तथ्य गलत व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है, क्योकि वादी एवं प्रतिवादी की कृषि भूमि माफिक उनके हक, हिस्सेनुसार स्थित है एवं वादी एवं प्रतिवादी माफिक अपने हक व हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है, वादी का यह कहना गलत है कि प्रतिवादी आये दिन वाद विवाद करते है एवं सीमा व माठ, मेड़बन्दी, तारबन्दी को तोड़फोड़ कर देते है, जब मौके पर वादी एवं प्रतिवादी अपने हक, हिस्से 1/2–1/2 हिस्से पर काबिज है तो वादी का यह कथन पूर्णतया गलत है। जबकि वादी स्वयं मौके पर लगा रखी खन्दक व बाड़ को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। जवाब देहन्दा प्रतिवादी राजस्व रेकर्ड में एवं मौके पर अपने हक, हिस्सेनुसार नापचौप करवाकर बंटवारा करवाने के लिये पहले भी तैयार व तत्पर थे एवं आज भी तैयार व तत्पर है वादपत्र के पद संख्या चार में वर्णित तथ्य गलत व बेबुनियाद है क्योकि वादी का यह कथन करना कि दिनांक 24.06.

18/12/25

(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

2024 को प्रतिवादी से बंटवारा करवाने का कहने पर प्रतिवादी ने इन्कार किया हो पूर्णतया कथन गलत लिखे गये है जबकि प्रतिवादी स्वयं भी अपने हक, हिस्से की भूमि का बंटवारा कराने को तैयार व तत्पर है तो मौके पर वाद विवाद व झगड़ा करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादपत्र में वर्णित भूमि का मौके पर माफिक हक हिस्सेनुसार जवाबदेहन्दा द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार बंटवारा किया जाये तो जवाबदेहन्दा पूर्णतया सहमत है एवं जवाब देहन्दा भौके पर विवाद नहीं चाहते है तथा न ही लड़ाई झगड़ा ही चाहते है, आपसी रजामंदी से मौके पर काबिज किये गये बंटवारा से कायम है। वादपत्र के पद संख्या 05 का जवाब है कि यादी का वादपत्र बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है जो आवश्यक प्रकृति का नहीं है इसलिए प्रतिवादी संख्या दो व तीन राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से वाद प्रस्तुत करने के पूर्व दो माह विधिक नोटिस दिया जाना चाहिए क्योकि उक्त वाद आवश्यक प्रकृति है, इसलिए वादी ने बिना नोटिस दिये ही उक्त वाद पेश किया है जो कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावें। वादपत्र के पद संख्या 06 बिनायवाद से संबंधित है जिसमें वादी द्वारा सम्पूर्ण कथन मनगढ़त व बेबुनियादी तथ्यों को आधार बनाकर वादपत्र पेश किया है, प्रतिवादी जवाब देहन्दा द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार माफिक अपने हक, हिस्सेनुसार व मौके पर काबिज अनुसार कृषि भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा हक, हिस्सेनुसार नापचौप कर, पत्थरगढी करवाता है तो प्रतिवादी तैयार व तत्पर है, वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध किसी प्रकार से कोई बिनायवाद प्राप्त नहीं होता है, प्रतिवादी किसी भी प्रकार से वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने व भूमि का रहन, बैचान, व अन्य हस्तान्तरण करने, कच्चा पक्का निर्माण कार्य करने व धमकिया देने के कथन बिलकुल मिथ्या व गलत लिखे गये है। वादपत्र के पद संख्या सात मालियत वादपत्र के है जो कानूनी है एवं काबिल गौर अदालत हाजा के है। 8. यह है कि वादपत्र के पद संख्या आठ इस्तदुआ वादी है. यदि यादी मौके पर वादी व प्रतिवादी के हक, हिस्सेनुसार कानूनी रुप से नापचौप करवाकर बंटवारा करवाते है तो जवाब देहन्दा प्रतिवादी सहमत है. परन्तु वादी ने यह झूठा वादपत्र प्रस्तुत किया है. यदि वादी मौके पर काबिज अनुसार व जवाबदेहन्दा द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार सही व उचित नापचोप करवाता है, तथा वादी प्रत्येक प्रतिवादी अपने हक, हिस्सेनुसार मौके पर काबिज व जवाबदेहन्दा द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार, नापचोप कर, पत्थरगढी करवाता है. एवं वादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित खसरा नम्बर की कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा माफिक प्रतिवादी की शर्तो अनुसार किया जावे तो जवाब देहन्दा प्रतिवादी को कोई उजर ऐतराज नहीं है।

अतः वादी के वादपत्र का जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश कर निवेदन है कि वादी व प्रतिवादी के उपरोक्त कृषि भूमि माफिक हक हिस्से व काबिज अनुसार प्रतिवादी द्वारा पेश किये गये नजरी नक्शेनुसार उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का नापचौप कर, पत्थरगढी करवाता है एवं वादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित

18.12.25

(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

खसरा नम्बर की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा माफिक प्रतिवादीगण की शर्तो अनुसार किया जावें तो जवाबदेहन्दा प्रतिवादीगण को कोई उजर ऐतराज नहीं है। तनकीयात कायम की गई। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, साक्ष्य शपथ–पत्र, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा वादपत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान पर गौर कर मनन किया। सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण, तहसील– जैतारण जिला ब्यावर राज0 के खसरा नम्बर 880 की जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 880 रकबा 4.4839 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वादी व प्रतिवादीगण के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण, तहसील– जैतारण जिला ब्यावर राज. में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 880 रकबा 4.4839 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2025/777 दिनांक 20/08/2025 द्वारा आदेशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में ग्रमीण सेवा शिविर 2025 के दौरान तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2025/02 दिनांक 16/10/2025 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान वकील अधिवक्ता ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

18.12.25

(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

(राजस्व वाद संख्या 140/2024 अब्दुल जब्बार बनाम अब्दुल गफार)
निर्णय व डिक्री दिनांक–18.12.2025

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण, तहसील– जैतारण जिला ब्यावर राज. की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 880 रकबा 4.4839 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	अब्दुल जबार पुत्र महमुद कौम व्यापारी सा. देह खातेदार	880	1.1673	बा0दो0	0.36
		880/6	1.0700	बा0दो0	0.33
	कुल खसरा संख्या	02	2.2373	–	0.69
2.	अब्दुल गफार पुत्र महमुद कौम व्यापारी सा. देह खातेदार	880/5	1.1673	बा0दो0	0.36
		880/8	1.0700	बा0दो0	0.33
	कुल खसरा संख्या	02	2.2373	–	0.69
3.	अब्दुल गफार पुत्र महमुद 1/2, अब्दुल जफार पुत्र महमुद 1/2 कौम व्यापारी सा. देह खातेदार	880/7	0.0093	बा.दो. (रास्ता हेतु)	0.01

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)
(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 18/12/2025 को सर–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)
(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री मनोज कुमार मीणा, आर०ए०एस०

–:: वादीगण :–

1. अब्दुल जब्बार पुत्र मेहमुद खां जाति कुरैशी मुसलमान निवासी– जैतारण तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण :–

1. अब्दुल गफार पुत्र मेहमुद खां जाति कुरैशी मुसलमान निवासी सिखवाल भवन के पीछे, नयापुरा बस स्टेण्ड के पास, जेतारण तहसील–जैतारण ब्यावर राजस्थान।
2. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार।
3. उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला ब्यावर।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 140/2024
निर्णय व डिक्री दिनांक :– 18/12/2025

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री महावीर सिंह उदावत, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण, तहसील– जैतारण जिला ब्यावर राज. की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 880 रकबा 4.4839 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	अब्दुल जबार पुत्र महमुद कौम व्यापारी सा. देह खातेदार	880	1.1673	बा0दो0	0.36
		880/6	1.0700	बा0दो0	0.33
	कुल खसरा संख्या	02	2.2373	–	0.69
2.	अब्दुल गफार पुत्र महमुद कौम व्यापारी सा. देह खातेदार	880/5	1.1673	बा0दो0	0.36
		880/8	1.0700	बा0दो0	0.33
	कुल खसरा संख्या	02	2.2373	–	0.69
3.	अब्दुल गफार पुत्र महमुद 1/2, अब्दुल जफार पुत्र महमुद 1/2 कौम व्यापारी सा. देह खातेदार	880/7	0.0093	बा.दो. (रास्ता हेतु)	0.01

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

18.12.25

(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18/12/2025 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	05-00	फीस कमीश्नर	/
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	10-00	मिजानः–	01-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।